बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

कार्यालय आदेश

संख्या–अं0सं0क0–01–36/2015 खण्ड– II 736 / पटना, दिनांक– 12/11/26 /

डॉ0 अमीर आफाक अहमद फैजी, विशेष सचिव–सह–निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के दिनांक–31.10.2026 को वार्द्धक्य सेवानिवृत के पश्चात वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इस पद पर नियमित पदस्थापन होने तक श्री इबरार अहमद खाँ (भा०प्र०से०), अपर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–602 दिनांक–20.03.2007 द्वारा नियम–21 के अधीन अनुसूची–4 में किये गये संशोधन एवं वित्तीय नियमावली के नियम–110 में निहित प्रावधानों के आलोक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय व्यय, वाहन रख–रखाव, ईंधन, दूरभाष एवं अन्यान्य व्यय आदि के लिये व्यय की स्वीकृति प्रदान करने हेतु पूर्ण शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

2. विभाग एवं निदेशालय के सभी संचालित योजनाओं में आवंटन (क्षेत्रीय कार्यालय सहित), स्वीकृत्यादेश, बजट संबंधी सम्पूर्ण कार्य, भविष्य निधि से अग्रिम, अंतिम निकासी, विभागीय अग्रिम, संविदा, अनुबंध, दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर कार्यरत कर्मियों के मासिक भुगतान की स्वीकृति, संविदा एवं अनुबंध का अवधि विस्तार की स्वीकृति, अनुपस्थिति विवरणी, अराजपत्रित कर्मियों को LTC, यात्रा व्यय की स्वीकृति तथा प्रतिहस्ताक्षर, अराजपत्रित कर्मियों का पेंशन पेपर आदि को स्वीकृत करने की शक्ति भी श्री इबरार अहमद खाँ (भा०प्र०से०), सरकार के अपर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यायोजित की जाती है।

3. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–अ0सं0क0–01–36/2015 खण्ड– II 4772 / पटना, दिनांक– 12/11/26 /

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री इबरार अहमद खाँ (भा०प्र०से०), अपर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी एवं शिया वक्फ बोर्ड, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य हज समिति, पटना/सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, पटना/अध्यक्ष–सह–पीठासीन पदाधिकारी, बिहार वक्फ न्यायाधिकरण, पटना/सचिव, बिहार उर्दू एकेडेमी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगी।

संजय – 12.11.26

सरकार के संयुक्त सचिव